

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 23/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी एस आर जी हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड शास्त्री सर्किल उदयपुर।		1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही। 2. श्रीमती गजी पत्नि श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही। 3. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गलाराम जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही। 4. श्री रूपाराम पुत्र श्री भीमाराम जाति मेघवाल निवासी तेलपुर जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीपसिंह चारण अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक ।



निर्णय

दिनांक : 05.10.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही।
2. श्रीमती गजी पत्नि श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही।
3. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गलाराम जाति मेघवाल निवासी जनापुर जिला सिरौही।
4. श्री रूपाराम पुत्र श्री भीमाराम जाति मेघवाल निवासी तेलपुर जिला सिरौही।

को राशि रूपये 4,00,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी ।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

अप्रार्थी ने अपनी जायदाद आवासीय प्लॉट मौजा जनापुर पट्टा संख्या 004244 बुक संख्या 85 क्षेत्रफल 375 वर्ग फीट मौजा जनापुर जिला सिरौही को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26.02.2020 को जारी किये गये। जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पत्ति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक उदयपुर में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 4,00,000/- ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।



प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 4,00,000/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 26.02.2020 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

जिला सिरौही, सिरौही

